

7-112

16 APR 2007



दिल्ली DELHI

145371

राकेश कुमार बंसल
पैननः: ADAPB7011P

न्यास पत्र

प्रतिभा संवर्धन न्यास

यह सार्वजनिक न्यास (ट्रस्ट) का अनुबन्ध पत्र [Deed of Public Trust] आज दिनांक १६-०४-२००७ को श्री राकेश कुमार बंसल पुत्र श्री मदनलाल आयु ५० वर्ष वर्तमान पता - ई - ५९, मोहल्ला शीरा, गढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलास, नई दिल्ली - ६५, द्वारा निष्पादित किया गया है। वर्तमान पता 2423 श्रीलासक-अजय देवजी-6

मैं सरस्वती की प्रेरणा से प्रतिभाओं के संवर्धन हेतु मैं राकेश बंसल सर्वसाधारण के हितार्थ विशेष रूप से अपने समाज के कमजोर उपेक्षित निर्धन वर्ग की सेवा के भाव से एक सार्वजनिक न्यास का निर्माण कर रहा हूँ।

इस निमित्त मैं अपने पास से रुपये १०,०००/- (दस हजार) मात्र देकर न्यास का निर्माण करता हूँ।

इस पुनीत कार्य में मैं अपने सहित निम्न बन्धुओं को प्रन्यासी मनोनीत करता हूँ:-

नाम	पिता का नाम	पता
१. श्री विवेक मित्तल	श्री प्रताप कुमार मित्तल	के०ई० ८१, कविनगर, गाजियाबाद
२. श्री राजकुमार जिन्दल	श्री अनन्त राम जिंदल	४/२० सेक्टर-२, साहिबाबाद, गाजियाबाद
३. श्री आनन्द गोयल	श्री बाबूताल आर्य	३४३, नवलपुरा ककराला, सुर्जा
४. श्री कन्हैयालाल बंसल	श्री मदन लाल बंसल	बी-४४४, शिवाजी नगर, पिलखुवा
५. श्री विकास गोयल	श्री बाबूताल आर्य	३४३, नवलपुरा ककराला, सुर्जा
६. श्री अमित गोयल	श्री अनिल गोयल	३४३, नवलपुरा ककराला, सुर्जा
७. श्री राकेश अग्रवाल	श्री राममूर्ति अग्रवाल	डी-५३, इन्डस्ट्रीयल एरिया, अलीगढ़
८. श्री नरेन्द्र त्यागी	श्री बाबूराम त्यागी	एल-२०, सेक्टर-२३, राजनगर, गाजियाबाद

5117

28

Sl. No. ~~28~~ 2/4/02
This Paper

Pratibha Sambhawan Nijay
at E-89, Shere, Matally
East of Karol. Vashi
Delhi

Trust Deed

Child Proof Agency
Date 02.04.2002

520x1
100x3

800

R. V. Asha



R. V. Asha



Pratibha Sambhawan Nijay





दिल्ली DELHI

C 520754

९. श्रीमति शशि बंसल	श्री राकेश बंसल	बी-४४३, शिवाजी नगर, पिलखुवा
१०. श्रीमति निशा बंसल	श्री कन्हैयालाल बंसल	बी-४४४, शिवाजी नगर, पिलखुवा
११. श्रीमति रेखा गोयल	श्री आनन्द गोयल	३४३, नवलपुरा ककराला, खुर्जा
१२. श्रीमति प्रिती गोयल	श्री विकास गोयल	३४३, नवलपुरा ककराला, खुर्जा
१३. श्रीमति ममता अग्रवाल	श्री राकेश अग्रवाल	डी-५३, इन्डस्ट्रियल एरिया, अलीगढ़

यही ट्रस्टीगण ट्रस्ट के प्रथम प्रन्यासी मण्डल के सदस्य माने जायेंगे। अतः इस न्यास पत्र के माध्यम से एक सार्वजनिक धर्माथ न्यास {ट्रस्ट} की घोषणा करता हूँ इस न्यास की शर्तें तथा नियम [Terms and Conditions] निम्न रहेंगे:-

- इस न्यास का नाम **प्रतिभा संवर्धन न्यास** रहेगा।
- न्यास का पंजीकृत कार्यालय: ई - ५९, मोहल्ला शीरा, गढ़ी, ईस्ट ऑफ कैलास, नई दिल्ली - ६५, रहेगा एवं न्यास का उप कार्यालय सम्पूर्ण भारतवर्ष में कहीं भी हो सकता है।
- उपरोक्त आकांक्षा की पूर्ति निमित्त तथा ट्रस्ट के उद्देश्यों [Objects] जो नीचे उद्धृत किये जा रहे हैं कि पूर्ति हेतु एवं न्यास का कार्य चलाने निमित्त न्यास के निर्माण कर्ता ने १०,०००/- (दस हजार) मात्र जो राशि दी है वह ट्रस्ट की सम्पत्ति समझी जायेगी, इस सम्पत्ति को किसी दशा में वापस नहीं लिया जा सकेगा।
- ट्रस्ट का कोष: उपरोक्त रूपये १०,०००/- (दस हजार) के साथ अन्य सहयोगी राशियां दान भेंट, ब्याज, किराया अन्य किसी प्रकार की आय जो न्यास को समय-समय पर प्राप्त होगी ट्रस्ट का कोष मानी जायेगी।
- ट्रस्ट का उद्देश्य: प्रन्यासीगण भारत में सर्वसाधारण के धर्माथ हितों के लिए न्यास की सम्पत्ति और न्यास की आय का उपयोग करेंगे। न्यास द्वारा चलने वाले सेवा कार्यों में किसी नागरिक से उसके सम्प्रदाय, जाति, पन्थ, रंग आदि के कारण भेद नहीं किया जा सकेगा और ना ही किसी विशेष पन्थ, सम्प्रदाय के हितों के लिए कार्य किया जायेगा। न्यास के कार्यों का उद्देश्य किसी भी प्रकार आर्थिक लाभ अर्जन करना नहीं होगा वरन् समस्त कार्य धर्माथ सेवाभाव से ही किये जायेंगे न्यास के निम्न उद्देश्य है:

R. K. Saini



दिल्ली DELHI

C 520753

- {1} नारी सशक्तिकरण- समाज में नारी सशक्तिकरण हेतु जागरूकता लाना जिसके लिए नारी समूह बनाना एवं उनको स्वरोजगार के लिए प्रेरित करना तथा उनके समुचित प्रशिक्षण की व्यवस्था करना आदि।
- {2} समाज में शिक्षा संस्कार एवं स्वास्थ्य के विकास के लिये कार्य करना विशेष रूप से प्रावैधिक एवं व्यवसायिक पाठ्यक्रमों हेतु। इस निमित्त विद्यालय, कोचिंग कक्षाएँ, प्रावैधिक {टैक्नीकल} शिक्षा केन्द्र छात्रावास, शिक्षा पर गोष्ठीयाँ, अध्यापक शिक्षण वर्ग आदि चलाना अथवा इनको सुचारु रूप से चलाने में अन्य सम उद्देश्य वाली संस्थाओं का सहयोग करना, उनकी आर्थिक सहायता करना, निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करना। कृषि तथा कृषि शिक्षा से सम्बंधित कार्य करना।
- {3} जल संचयन- गिरते हुए भूजल को रोकने हेतु प्रयास करना जिसके लिए समाज को जागरूक करना। जल संचयन के लिए समाज में जागरूकता लाना एवं इस हेतु सुविधाएँ प्रदान करना तथा सरकारी कार्यक्रम से जनता को अवगत कराना आदि।
- {4} पर्यावरण- समाज को दुषित होते पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए गोष्ठीयाँ करना, पेड़ लगाना, वनस्पति उद्यान लगाना एवं लगाने के लिए प्रेरित करना। सरकारी कार्यक्रमों का जनता में प्रचार करना आदि।
- {5} संस्था के उद्देश्यों के पूर्ति में सहायक व्यक्तियों, संस्थाओं को आर्थिक, नैतिक सहयोग देना तथा उनसे प्राप्त करना। वह सभी कार्य करना जो न्यासीमंडल की दृष्टि में न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति में सहायक हों।

६. संस्थान का प्रबन्ध एवं संचालन :

{1} संस्था का प्रन्यासी मण्डल संस्था के कोष एवं संचालन के लिए पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा। प्रन्यासीमण्डल अपने में से सात सदस्यीय कार्यसमिति (Managing Committee) का गठन करेगा।

{2} कार्यसमिति का स्वरूप निम्न प्रकार रहेगा एवं इसका प्रथम कार्यकाल निम्न शर्तों सहित चार {4} वर्ष रहेगा तदोपरान्त इसका कार्यकाल {2} वर्ष रहेगा:-

- | | | |
|------------|----------------------------|--------------|
| १. अध्यक्ष | २. मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष | ३. उपाध्यक्ष |
| ४. मंत्री | ५. कोषाध्यक्ष | ६. दो सदस्य |

R. K. Sharma
2

Date 16/04/2007

RegNo. 1632

Deed Related Detail

Deed Name TRUST

Land Detail

Tehsil/Sub Tehsil Sub Registrar 28/2 24/07 Area of Building 0 वर्ग फुट
 Village/City Kashmere This Paper of R... Building Type
 Place (Segment) Kashmere Gate Address: ...
 Property Type Others
 Area of Property 0.00 0.00 0.00

Money Related Detail

Consideration Value 10,000.00 Rupees

Stamp Duty Paid 800.00 Rupees

Value of Registration Fee 3.00 Rupees

Pasting Fee 1.00 Ruppees

Presented by: Sh/Smt. S/o, W/o
R.K. Bansal Madan Lal

R/o
E-59 Mohalla Shera Garhi East of Kailash
Delhi

in the office of the Registrar/ Sub Registrar, Delhi this 16/04/2007 day Monday
between the hours of

Dise
Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar I
Delhi/New Delhi

Signature of Presenter
Execution admitted by the said Shri/Smt R.K. Bansal

and Shri/Smt. Km. na
Who is/are identified by Shri/Smt/Km. Jiya Nand S/o W/o D/o Mahender Singh R/o Mohan Ngr Cly pilkuan UP
and Shri/Smt./Km Ajay Bhatnagar S/o W/o D/o R.B.Bhatnagar R/o Old Court Kashmere Gate Delhi
(Marginal Witness). Witness No. II is known to me.
Contents of the document explained to the parties who understand the conditions and admit them as correct.

Dise
Registrar/Sub Registrar
Sub Registrar I
Delhi/New Delhi

Date 20/04/2007



(61)



दिल्ली DELHI

C 520752

{२}२. न्यास के प्रथम अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष आजीवन अपने पदों पर बने रहेंगे, इनकी मृत्यु के उपरान्त ही इन पदों पर चुनाव हो सकेगा।

{२}३. प्रथम नामित कार्यसमिति के सदस्य निम्न रहेंगे:-

- | | | |
|----------------------------|---|------------------------|
| १. अध्यक्ष | - | श्री राकेश बंसल। |
| २. मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष | - | श्री विवेक मित्तल। |
| ३. उपाध्यक्ष | - | श्री राज कुमार जिन्दल। |
| ४. मंत्री | - | श्री आनन्द गोयल। |
| ५. कोषाध्यक्ष | - | श्री कन्हैयालाल बंसल। |
| ६. सदस्य | - | श्री अमित गोयल। |
| ७. सदस्य | - | श्री राकेश अग्रवाल। |

{३} कार्यसमिति न्यास एवं न्यास द्वारा संचालित संस्थानों के संचालन के लिये पुर्ण रूप से अधिकृत होगी एवं कार्यसमिति के दायित्व एवं अधिकार निम्न होंगे-

{३}१. मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार:

१. न्यास एवं न्यास से सम्बंधित संस्थानों को सुचारू रूप से चलाने के लिए दिशा-निर्देश तैयार करना एवं लागू करना।
२. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठको की अध्यक्षता करना।
३. न्यास के दैनिक कार्यों के संचालन हेतु न्यास हित में निर्णय लेना एवं न्यास एवं न्यास से सम्बंधित संस्थानों द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रपत्र पर हस्ताक्षर करना।
४. न्यास के कार्यों हेतु शासन, प्रशासन एवं सम्बंधित संस्थाओं में न्यास का प्रतिनिधित्व करना।
५. न्यास के कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए पूर्णकालिक/अंशकालिक व्यक्तियों को नियुक्त करना एवं उनका पारिश्रमिक एवं मानदेय निश्चित करना आदि।

R. M. D.

{३}२. अध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार:

१. न्यास को सुचारू रूप से चलाना।
२. आवश्यकतानुसार न्यास की बैठक बुलाने के लिए मंत्री को निर्देशित करना।
३. कार्यसमिति एवं प्रन्यासीमंडल की बैठक की अध्यक्षता करना।

{३}३. उपाध्यक्ष के दायित्व एवं अधिकार:

१. न्यास को सुचारू रूप से चलाने में सहयोग करना।
२. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठको की अध्यक्षता करना।

{३}४. मंत्री के दायित्व एवं अधिकार:

१. अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार समय-समय पर कार्यसमिति एवं प्रन्यासीमंडल की बैठक बुलाना।
२. बैठक की कार्यवाही को लिपिबद्ध करना।
३. बैठक में रखे प्रस्तावों एवं सुझावों हेतु आवश्यक प्रपत्र संकलित करना।
४. न्यास के द्वारा या न्यास के विरुद्ध चलने वाले न्यायिक कार्यों की पैरवी करना अथवा इस हेतु किसी को अधिकृत करना।

{३}५. कोषाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य:

१. वित्त नियन्त्रक का दायित्व होगा कि वह न्यास के हिसाब किताब को उचित ढंग से रखे। हिसाब-किताब से सम्बन्धित सम्पूर्ण आलेखों तथा कागजों को वह उचित ढंग से रखेगा तथा प्रति वर्ष कार्यकारिणी समिति द्वारा नियुक्त सनदी लेखाकार से हिसाब किताब का अंकेक्षण कराकर प्रन्यासी मंडल के समक्ष रखेगा।
२. बैंक से न्यास कार्य हेतु संपर्क रखना एवं धनराशी की व्यवस्था करना।
३. समय-समय पर कार्यसमिति अथवा प्रन्यासीमंडल को वित्त से सम्बन्धित जानकारी उपलब्ध कराना।

{३}६. सदस्यों के अधिकार एवं कर्तव्य:

१. समय-समय आहुत कार्यसमिति की बैठकों में उपस्थित रहना।
२. न्यास कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए अपना सुझाव रखना।
३. अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारिणी अध्यक्ष द्वारा दिये गये कार्यों को पूर्ण करना आदि।



4



{४} कार्यसमिति के कार्यकाल के मध्य में रिक्त स्थानों की पूर्ति अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यवाही अध्यक्ष द्वारा प्रन्यासीमण्डल में से किसी एक सदस्य को नामित करके की जायेगी।

{५} किसी भी विवाद की दशा में अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का सामुहिक निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। सामुहिक निर्णय ना हो पाने की दशा में कार्यसमिति द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय मान्य होगा।

७. संस्था के उपरोक्त कार्यों को सुचारू रूप से चलाने तथा न्यास के समूचित प्रबन्धों के लिए प्रन्यासी मण्डल को निम्न अधिकार होंगे:

{१} संस्था के धन का उपयोग संस्थान के समस्त उद्देश्यों अथवा किसी एक विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए व्यय करने का अधिकार होगा संस्थान के शेष अतिरिक्त धन का विनियोग आयकर कानून १९६१ के अनुसार किया जायेगा।


{२} संस्थान के लिये दान, भेंट में धन अथवा सम्पत्ति प्राप्त कर उसको पूँजी के रूप में प्रयोग करना अथवा संस्थान के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु उपयोग करना।

{३} संस्थान की सम्पत्ति को किराये, लीज आदि पर देना। चल-अचल, दर्शनीय -अदर्शनीय, सम्पत्ति के सम्पूर्ण स्वामित्व के अधिकारों उनसे प्राप्त लाभों तथा उनकी व्यवस्था का अधिकार होगा। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु न्यास की किसी भी सम्पत्ती को बेचना आदि।

{४} संस्थान के कोष को प्रन्यासी मण्डल के निर्देशानुसार समय-समय पर विनियोग करना, उसको निकालना, दूसरे स्थान पर विनियोग करना एवं विनियोग धन को वापिस प्राप्त करना आदि।

{५} किसी भी प्रकार के विवाद में आवश्यकतानुसार निर्णय लेना एवं विवाद हल न होने पर या न्यास के समापन पर न्यास की सम्पत्ति को प्रन्यासी मण्डल के बहुमत से केवल समउद्देश्य वाली पंजीकृत संस्था को ही हस्तान्तरित करना।


{६} संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु बैंक, संस्था, व्यक्ति, प्रन्यासीगण एवं कम्पनियों से ऋण प्राप्त करना एवं इस निमित्त संस्था की जमीन जायदाद को गिरवी, रहन रसना आदि।





कुछ अन्य नियम :

- {१} संस्थान के प्रथम २ वर्षों के लिए सर्वश्री वी० रावल एण्ड एसोसिएट्स, गा०बाद को अंकेक्षक नियुक्त किया जाता है। परिश्रमिक का निर्धारण कार्यकारिणी द्वारा किया जाएगा।
- {२} न्यास का धन किसी राष्ट्रीयकृत/सहकारी/शेडयूल्ड बैंक में रखा जायेगा। खाते के संचालन का अधिकार न्यास के अध्यक्ष, मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष एवं कोषाध्यक्ष को संयुक्त रूप से रहेगा। इनमें से किन्हीं दो के हस्ताक्षरों से धन निकाला जा सकेगा।
- {३} संस्था की सम्पत्ति का क्रय विक्रय अथवा किसी भी प्रकार के प्रमाण-पत्र पर संस्था की ओर से मंत्री अथवा एक प्रन्यासी जिसको कार्यकारिणी समिति मनोनीत करेगी, के हस्ताक्षर होंगे।
- {४} संस्था को हुई हानि के लिए कोई प्रन्यासी अथवा प्रन्यासी मंडल का पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से तब तक उत्तरदायी नहीं माना जायेगा जब तक यह सिद्ध नहीं होगा कि उसने निहित स्वार्थवश जानबूझकर संस्था को हानि पहुँचायी है।
- {५} संस्था के नियमों आदि की परिभाषा के सन्दर्भ में उत्पन्न विवाद में न्यास के अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष का सामुहिक निर्णय सभी को मान्य और अन्तिम होगा।
- {६} न्यास के मनोनीत प्रन्यासी न्यास की स्थापना के पाँच वर्ष बाद ही अपने स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति को प्रन्यासी मनोनीत करवा सकेंगे परन्तु ऐसे प्रस्तावित प्रन्यासी को प्रन्यासी मण्डल में लेने का अन्तिम निर्णय अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष द्वारा सामुहिक रूप से किया जायेगा। किसी भी प्रन्यासी की मृत्यु होने एवं उसके द्वारा अपने उत्तराधिकारी का लिपिबद्ध पत्र न्यास के पास ना होने की दशा में न्यास द्वारा पहले उसकी पत्नी अथवा पति को और उनके भी ना रहने पर उसके ज्येष्ठ पुत्र को मनोनीत किया जायेगा। किसी भी दशा में प्रन्यासी मंडल के सदस्यों की संख्या २१ से अधिक नहीं होगी। विवाद की स्थिति में कार्यसमिति द्वारा बहुमत से लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा। न्यास के मुख्यकार्यकारी अध्यक्ष आजीवन न्यास के कार्यरत प्रन्यासी माने जायेंगे तथा उनकी मृत्यु के पश्चात उनकी पत्नी या पत्नी के भी ना रहने पर उनका कनिष्ठ पुत्र प्रन्यासी माना जायेगा इस नियम को किसी भी दशा में बदला नहीं जा सकेगा। न्यास के प्रथम अध्यक्ष एवं मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष प्रन्यासी रहने तक न्यास की कार्यसमिति के सदस्य होंगे।



- {७} न्यास की समस्त सम्पत्ति और आय का उपयोग न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए ही किया जायेगा। संस्थान की किसी भी प्रकार की सम्पत्ति के किसी भी अंश मात्र को भी प्रन्यासीगणों को ना तो प्रदान और ना ही स्थान्तरित किया जा सकेगा। आयकर अधिनियम और देश के कानून के अनुसार माने जाने वाले निहित स्वार्थो [Interested Persons] वाले लोगों को भी यह नहीं हो सकेगा परन्तु संस्थान की उसके हितार्थ सेवा करने वाले कर्मचारियों तथा अन्य व्यक्तियों एवं प्रन्यासीगणों को सेवा कार्य के आधार पर समय-समय पर वेतन पारिश्रमिक आदि प्रदान करने पर कोई प्रतिबन्ध नहीं होगा इस वेतन पारिश्रमिक का निर्णय किये गये कार्य तथा कार्य करने वाले की योग्यता के आधार पर समय समय पर कार्यकारिणी द्वारा किया जायेगा। प्रन्यासीगणों द्वारा न्यास के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु दिये जाने वाले ऋण पर न्यास द्वारा ब्याज दिया जा सकेगा।
- {८} न्यास के संविधान में किसी भी प्रकार का संशोधन प्रन्यासी मंडल के ३/४ बहुमत द्वारा ही किया जा सकेगा।
- {९} न्यास का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारतवर्ष रहेगा।

९. **सदस्यता समाप्ति :** निम्न कारणों से किसी भी प्रन्यासी की सदस्यता समाप्त हो जायेगी।


{१} त्याग-पत्र देने तथा उसके स्वीकृत होने पर अथवा मृत्यु होने पर।

{२} किसी सक्षम न्यायालय द्वारा दिवालिया घोषित होने पर अथवा किसी अनैतिक अपराध में दण्डित होने पर।

{३} पागल घोषित होने पर।

{४} न्यास के हितों के विपरीत कार्य करने पर प्रन्यासी मंडल द्वारा ३/४ बहुमत के प्रस्ताव पारित होने पर।

१०. **न्यास भंग होने पर :** प्रन्यासी मंडल द्वारा ३/४ प्रन्यासीगणों के निर्णय से न्यास को भंग किया जा सकेगा। न्यास भंग होने पर न्यास की समस्त देनदारियों का भुगतान करने के उपरान्त शेष धन तथा चल-अचल सम्पत्ति को किसी दूसरी अथवा अनेक समान उद्देश्य वाली संस्थाओं को प्रदान किया जायेगा। इसका निर्णय भी प्रन्यासीमंडल द्वारा ३/४ बहुमत से किया जायेगा। किसी भी दशा में संस्थान की सम्पत्ति को प्रन्यासी मंडल के सदस्यों में नहीं बांटा जा सकेगा।



7



११. बैठक: {१} प्रन्यासी मंडल की वर्ष में कम से कम २ बार बैठक अवश्य होगी।
{२} कार्यसमिति की वर्ष में कम से कम ६ बार बैठक अवश्य होगी।

विशेष : ट्रस्ट और न्यास तथा ट्रस्टी और प्रन्यासी पर्यायवाची शब्द है।

अतः इस अनुबन्ध पत्र पर हस्ताक्षर कर मैं राकेश बंसल निवासी शिवाजी नगर, पित्तखुवा इस न्यास की घोषणा करता हूँ।

स्थान : दिल्ली।

दिनांक : १६.०४.२००७

साक्षी :

१. जियानन्द त्यागी
पुत्र श्री महेन्द्र सिंह त्यागी
मोहन नगर कालोनी
पित्तखुवा
पिन नो- AEIPT8364E

Ajay Dalmegar Advocate
2. Old Court, K. Gate, Delhi
Reg. No. 579/07

हस्ताक्षर

R. B. S.

R. B. S.

Reg. No. 1632 Reg. Year 2007-2008 Book No. 4



Ist Party न्यासकर्ता



IInd Party Witness गवाह

Ist Party

IInd Party

Party न्यासकर्ता :- R.K. Bansal

IInd Party न्यासी :- na

Witness गवाह Jiva Nand. Ajay Bhatnagar


Certificate (Section 60)

Registration No. 1632 in Book No. 4 Vol No 2,402

in page 98 to 106 on this date 16/04/2007 day Monday

and left thumb impressions have/has been taken in my presence.

Date 20/04/2007


Sub Registrar
Sub Registrar I
New Delhi/Delhi

